पत्रांक–भवन / बजट–46–विविध(ए०सी० / डी०सी०)–22 / 2025–26...... 335(जी)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

विनय कुमार, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, मुंगेर, खगड़िया, नालंदा, अररिया, छपरा, गोपालगंज, अरवल, समस्तीपुर एवं पूर्णियां।

पटना, दिनांकः– 12/1/26

विषयः– शिक्षा विभाग से संबंधित लंबित डी०सी० विपत्रों के समायोजन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग से संबंधित आदर्श विद्यालय का जीर्णोद्धार कार्य हेतु पटना भवन प्रमंडल, पटना द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि के विरूद्ध वर्त्तमान में लंबित राशि का विवरणी निम्नवत हैः–

(राशि लाख में)

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	उपलब्ध करायी गयी राशि	पटना भवन प्रमंडल, पटना को उपलब्ध करायी गयी डी०सी० विपत्र की राशि	अवशेष डी०सी० विपत्र की राशि
1	2	3	4	5
1	बेतिया	68.00000	46.58178	21.41822
2	मोतिहारी	68.00000	44.41711	23.58289
3	शिवहर	68.00000	0.00000	68.00000
4	मुंगेर	68.00000	65.00000	3.00000
5	खगड़िया	68.00000	0.00000	68.00000
6	नालंदा	65.00000	53.07893	11.92107
7	अररिया	68.00000	64.58076	3.41924
8	छपरा	68.00000	45.91888	22.08112
9	गोपालगंज	68.00000	66.25916	1.74084
10	अरवल	68.00000	57.76764	10.23236
11	समस्तीपुर	68.00000	35.67954	32.32046
12	पूर्णियां	34.00000	0.00000	34.00000
कुल राशि		**847.00000**	**547.27664**	**299.72336**

उक्त राशि का डी०सी० विपत्र उपलब्ध कराने हेतु कई बार निदेश देने के बावजूद भी आपके द्वारा अबतक नहीं उपलब्ध कराया गया है। आपका यह कृत

विभागीय निदेशों की अवहेलना एवं कार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। आप अवगत हैं कि लंबित डी०सी० विपत्रों का समायोजन हेतु मुख्य सचिव, बिहार एवं अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें विभाग को असहज की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

अतः आपके द्वारा डी०सी० विपत्र उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में क्यों नहीं आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय, इस संदर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए लंबित डी०सी० विपत्रों के साथ अपना स्पष्टीकरण दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही अगले आदेश तक के लिए आपका वेतन अवरुद्ध किया जाता है।

विश्वासभाजन

(विनय कुमार)
सरकार के अपर सचिव।